टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया पर प्रशिक्षण कार्यशाला

विद्युत उपभोक्ताओं को समझाए अधिकार-जिम्मेदारी

जयपुर @ पत्रिका. उपभोक्ताओं को विद्युत प्रबंधन, उनके अधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देने के लिए शुक्रवार को राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ऑफिस में कार्यशाला आयोजित की गई। सेंटर फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड पीपल की ओर से आयोजित 'ग्रिड से घर तक' कार्यशाला में टैरिफ निर्धारण का तरीका, वितरण टैरिफ डिजाइन एवं याचिका की समीक्षा से जुड़े पहलुओं को समझाया गया। सीईईपी के सह-संस्थापक अंशुमन गोठवाल ने बताया कि विद्युत अधिनियम-2003 में टैरिफ निर्धारण

में उपभोक्ता की भूमिका को भी स्पष्ट किया है। टैरिफ पिटीशन पर सुनवाई के समय लोगों की भागीदारी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने बिजली डिमांड का अनुमान लगाने की प्रक्रिया, बिजली खरीद योजना और वितरण कंपनियों की ओर से किए गए टैरिफ डिजाइन के साथ संबंधित नियामक प्रक्रिया को भी समझाया।